न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पीठासीन अधिकारी – मुरलीधर प्रतिहार (आर.ए.एस.)

अपील संख्या– 2025/121

1. छोटूलाल पुत्र सुन्दरलाल जाति धोबी
2. दुर्गाशंकर पुत्र सुन्दरलाल जाति धोबी मृतक जर्ये कायम मुकामान–
   2/1 इन्द्रपाल पुत्र दुर्गाशंकर
   2/2 बृजमोहन पुत्र दुर्गाशंकर
   2/3 महावीर पुत्र दुर्गाशंकर
   2/4 किशकिन्दा पुत्री दुर्गाशंकर
   2/5 भूली बाई पुत्री दुर्गाशंकर
   निवासीगण ग्राम डीकोली तहसील कनवास जिला कोटा
3. मोडी बाई पुत्री सुन्दरलाल पत्नी कृपाशंकर जाति धोबी निवासी ग्राम बनियानी तहसील लाडपुरा जिला कोटा

——अपीलान्ट

बनाम

1. नन्दा पुत्र सोना जाति धोबी मृतक जर्ये कायम मुकामान–
   1/1 रामचन्द्र पुत्र नन्दा मृतक जर्ये कायम मुकामान–
   1/1/1 सुनील पुत्र रामचन्द्र
   1/1/2 देवकन्या पुत्री रामचन्द्र
   1/1/3 मोडीबाई पत्नी रामचन्द्र
   1/2 मोहनलाल पुत्र नन्दा उर्फ नन्दलाल जाति धोबी निवासीगण ग्राम डीकोली तहसील कनवास जिला कोटा
2. रामलाल पुत्र गोपाल जाति धोबी
3. रघुनाथ पुत्र गोपाल जाति धोबी
4. बिरधी बाई पुत्री गोपाल जाति धोबी
   निवासीगण ग्राम डीकोली तहसील कनवास जिला कोटा
5. सोसर बाई पुत्री गोपाल पत्नी हंसराज जाति धोबी निवासी ग्राम विनोदकलां तहसील सांगोद जिला कोटा
6. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार कनवास जिला कोटा

——रेस्पोडेन्टगण

अपील संख्या 2025/121

छोटूलाल बनाम नन्दा का.मु. रामचन्द्र(मृतक) का.मु. सुनील वगै०

उपस्थित वक्त बहस :–1. श्री घनश्याम नागर अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री नरेन्द्र गुप्ता, अभिभाषक रेस्पो. संख्या 1/2 की ओर से।
3. श्री कन्हैयालाल मेरोठा, अभिभाषक रेस्पो. संख्या 1/1/1 लगायत 1/1/1, 2, 4, 5 की ओर से।
4. श्री ओमप्रकाश नागर, अभिभाषक रेस्पो. संख्या 3 क्री ओर से।

दिनांक: 27.01.2026

निर्णय

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा के प्रकरण संख्या 24/2019 (2019/00054) में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 20.11.2024 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी नन्दा ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 के अंतर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम केकोली तहसील कनवास जिला कोटा में खसरा न0 87 की 0.66 हेक्टर, खसरा न0 164 की 0.97 हेक्टर, खसरा न0 212 की 0.14 हेक्टर, खसरा न0 267 की 0.07 हेक्टर, खसरा न0 272 की 0.08 हेक्टर इस प्रकार कुल किता 5 की कुल 1.92 हेक्टर कृषि भूमि स्थित हे, जो कि राजस्व रेकार्ड मे वादी व प्रतिवादी कम 1ता 7 व प्रतिवादी न0 1, 2 की माता पानाबाई के नाम से राजस्व रेकार्ड मे दर्ज है, पानाबाई का स्वर्गवास लगभग 7–8 वर्ष. पूर्व हो चुका है, राजस्व रेकार्ड अनुसार उक्त कृषि भूमि से वादी का हिस्सा 1/3 प्रतिवादी कम 1, 2, 3 व उनकी माता स्व० पानाबाई का हिस्सा 1/3, व प्रतिवादी कम 4 ता 7 का हिस्सा 1/3 है, वादी व अन्य प्रतिवादीगण का राजस्व रेकार्ड मे दर्ज हिस्से अनुसार मौके पर उक्त कृषि भूमियो मे शांति पूर्वक उपयोग उपभोग मे है। उक्त कृषि भूमियो का विधिवत विभाजन मौके पर कभी भी नही हुआ है, और न ही विभाजन के लिए वादी व प्रतिवादीगण ने लेण्ड होल्डर की सहमति ही ली है। उक्त कृषि भूमियो में प्रत्येक सहखातेदार का विधित अनुरूप प्रत्येक इन्च भूमि पर हक व हिस्सा है। वादी व प्रतिवादीगण के मध्य उक्त कृषि भूमियो में काश्त को लेकर विवाद हो जाने की वजह से वादी ने माह मई 2017 के लगभग पुलिस थाना देवली मांझी जिला कोटा में कार्यवाही की थी, जिस पर पुलिस थाना देवली मांझी द्वारा समस्त खातेदारान के मध्य राजीनामा करवा दिया था, मुताबिक राजीनामा खसरा न0 164 की 0.97 हेक्टर (सागर वाला) पूरा खेत व खसरा न0 87 की 0.66 हेक्टर बावडीवाला बीडा में से 2 बीघा भूमि वादी व प्रतिवादी कम 4 व 5 के हिस्से में रहना, तथा शेष भूमि प्रतिवादी कम 1, 2, 3 के पास रहना तय हुआ था, वादी व प्रतिवादी कम 4 व 5 ने भी आपसी सहमति से उनके हिस्से में आयी भूमि का विभाजन मौके पर कर लिया था, पुलिस थाना देवली मांझी में हुए विभाजन के उपरान्त प्रतिवादी कम 1 व 2 ने पुनः दिनांक 24.6.2017 को वादी व प्रतिवादीन 5 व 6 पर दबाव बनाते हुए पुनः नया विभाजन लिखवा लिया, जिसकी कोई मान्यता नही थी, वादी व प्रतिवादी कम 4 व 5 पुलिस थाना देवली मांझी में हुए विभाजन पर सहमत है, व उक्त अनुरूप ही कृषि भूमियो को मौके पर काश्त कर रहे है, परन्तु प्रतिवादी क्रम 1 व 2 उक्त विभाजन को मानने से इन्कार कर रहे है, व वादी के शांति पूर्वक उपयोग उपभोग में बाधा पहुंचाने की

धमकी देते है, वादी व प्रतिवादीगण का खाता शामलाती होने की वजह से वादी अपने हिस्से कीकृषि भूमियो का विकास कार्य करने में असमर्थ है, वादी ने प्रतिवादी कम 1 व 2 से पुलिस थाना देवली मांझी मे हुए आपसी सहमति से हुए विभाजन के अनुरूप खाता विभाजन करवाने का निवेदन किया, परन्तु प्रतिवादी कम 1 व 2 ने वादी की प्रार्थना पर कोई ध्यान नही दिया। इसलिए वादी का विवश होकर कृषि भूमियो के विभाजन के लिए माननीय न्यायालय मे वादप्रस्तुत करने के लिए बाध्य होना पडा है। यही इस वाद की विषयवस्तु है। वाद कारण अंतिम बार दिनांक 25.9.2019 को उत्पन्न हुआ, जब वादी ने प्रतिवादी कम 1 व 2 से खाता विभाजन करवाने की प्रार्थना की, और उन्होने साफ तौर पर मना कर दिया। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी के पक्ष में व प्रतिवादीगण के विरूद्ध कृषि भूमि के विभाजन की डिकी पारित की जाकर ग्राम ढीकोली तहसील कनवास जिला कोटा में स्थित खसरा न0 87 की 0.66 हेक्टर, खसरा न0 164 की 0.97 हेक्टर, खसरा न0 212 की 0.14 हेक्टर, खसरा न0 267 की 0.07 हेक्टर, खसरा न0 272 की 0.08 हेक्टर इस प्रकार कुल किता 5 की कुल 1.92 हेक्टर कृषि भूमि का विभाजन किया जाकर आपसी सहमति से थाना देवली मांझी मे हुए विभाजन के अनुसार खसरा न0 164 की 0.97 हेक्टर (सागर वाला) पूरा खेत व खसरा न0 87 की 0.66 हेक्टर बावडीवाला बीडा मे से 0.32 हेक्टर भूमि को वादी व प्रतिवादी कम 4, 5, 6 व 7 के खाते विभक्त किया जावे, तथा शेष भूमि प्रतिवादी कम 1, 2, 3 के खाते दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करने का कष्ट करे, यदि प्रतिवादीगण पुलिस थाना देवली मांझी में हुए विभाजन से सन्तुष्ट न हो तो उक्त कृषि भूमियो का अच्छी मेसे अच्छी व बुरी मे से बुरी मौके पर विभाजन किया जावे, व विभाजन अनुरूप मौके पर रिक्त आधिपत्य दिलवाये जाने के आदेश प्रदान करने का कष्ट करे। वाद व्यय व अन्य न्यायोचित सहायता जो भी माननीय न्यायालय उचित समझे, प्रतिवादीगण से दिलवायी जावे।

3. उक्त आशय का वाद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 20.11.2024 को वादी की ओर से प्रस्तुत वाद स्वीकार किए जाने की निर्णय व डिकी पारित की।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी दिनांक 20.11.2024 से व्यथित होकर अपीलान्टगण ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी दिनांक 20.11.2024 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी दिनांक 20. 11.2024 को निरस्त फरमाया जावे ।

5. अपीलांट की ओर से अपील मियाद बाहर पेश की गई। अपील के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत किया गया। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील सब्जेक्ट–टू–लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना में रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई। उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

6. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण को सुनवाई हेतु कोई नोटिस प्रदान नहीं किया गया और ना ही नोटिस प्रार्थीगणों को प्राप्त हुआ है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 20.04.2025 को हल्का पटवारी द्वारा मौके पर आकर जमीन की पैमाईश करने के लिए कहा जिस पर प्रार्थीगण द्वारा कारण पूछने पर हल्का पटवारी व उपस्थित रेस्पोडेन्ट द्वारा उसके पक्ष में दावा डिक्री हो जाने को कहा, जिस पर प्रार्थीगण द्वारा कनवास जाकर वकील साहब से मिले वकील साहब द्वारा कार्यालय में सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त की तत्पश्चात दिनांक 23.04.2025 को नकल आवेदन कर दिनांक 01.05.2025 को नकल प्राप्त की तत्पश्चात पैसो की व्यवस्था कर अपल प्रस्तुत की है। प्रार्थीगण द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब सद्भाविक एवं क्षम्य है। प्रार्थीगण ग्रामीण मजदूर पेशा व्यक्ति है। न्यायहित में उदारता का रूख अपनाकर अवधि कन्डोन किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी से अपील प्रस्तुत करने में हुई कुल देरी को कन्डोन किया जाकर प्रार्थी को न्यायहित में अपील सुनवाई का आदेश प्रदान करें। अन्त में अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किए जाने तथा अपील अदद मियाद शुमार किए जाने का निवेदन किया।

7. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने लिखित बहस प्रस्तुत की तथा अपनी बहस में अपील मेमो में अंकित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट नन्दा के द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कनवास मे अन्तर्गत धारा 53, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम से ग्राम डिकोली की आराजी के संबंध में वाद प्रस्तुत किया जिसमें किसी भी प्रतिवादीगण की तामील विधि अनुसार नहीं कर एक तरफा कार्यवाही कर दिनांक 18.09.24 को प्राथमिक डिक्री जारी की गयी। तत्पश्चात् दिनांक 20.11.24 को अन्तिम डिक्री जारी की गयी। प्रकरण का मुख्य विवाद है कि पक्षकारान के मध्य वर्णित आराजी के संबंध में सादा कागज पर राजीनामा आलेखित किया गया जो दिनांक 15.05.2017 व दिनांक 24.06.17 का आलेखित है। उक्त राजीनामा में प्रार्थीगण को सशाखसरा नम्बर 87 मे से 0.50 हैक्टर व खसरा नम्बर 212 रकबा 0.14 हैक्टर कुल 2 किता की 0.64 हैक्टर आराजी दी गयी है, उक्त आराजी पर अपीलान्ट राजीनामा अनुसार आज भी काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। उक्त वाद में दिनांक 03.10.2019 को प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की गयी। माननीय न्यायालय को यह देखना है कि क्या प्रतिवादीगण को सिविल प्रक्रिया संहिता के अनुसार तामील हुयी या नही हुयी पत्रावली पर उपलब्ध सम्मनो को देखने पर स्पष्ट प्रतीत होता है कि उक्त सम्मन पर किसी भी गवाह के हस्ताक्षर नही है जिनके द्वारा प्रतिवादीगण को पहचाना हो। न उक्त सम्मन पर नकल होने का कोई पृष्ठांकन अंकन है। न उक्त सम्मन स्वयं प्रतिवादीगण को प्राप्त हुए है। इस प्रकार उक्त सम्मन न्यायिक नैसर्गिक सिद्धान्तो के विपरीत है और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को कोई सूचना व जानकारी वाद की नहीं दी है। उक्त वाद मे तनकी कायम की गयी किन्तु तनकी वाइज भी कोई आदेश प्रदान नही किया गया है। उक्त वाद में दिनांक 09.09.21 की ओर्डर सीट अनुसार नन्दा के फोत होने पर उसके कायम मुकामान बनाये गये तत्पश्चात् दिनांक 12.03.24 की ओर्डर शीट अनुसार अपीलान्ट क्रम 2 दुर्गा शंकर के स्वर्गवास हो जाने से कायम मुकामान का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसपर दिनपांक 21.05.24 को कायम

मुकामान बनाये गये। पत्रावली पर कायम मुकामान के प्रार्थना पत्र की अपीलान्ट को कोई तामील नहीं की गयी उक्त तामील विधि अनुसार नहीं है। और न कायम मुकामान के बाद दावे का कोई सम्मन ही अपीलान्ट क्रम 2 दुर्गा शंकर के कायम मुकामान को जारी किया गया है इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि अनुसार नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय में किसी भी दस्तावेज को साक्ष्य अधिनियम के अनुसार प्रदर्श नहीं किया गया है। जिसके अभाव में दस्तावेज अपठनीय है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राप्त बंटवारा रिपोर्ट पर प्रार्थीगण को सुनवायी का कोई अवसर प्रदान नहीं किया है न अपीलान्ट की जानकारी व उपस्थिति में उक्त बंटवारा रिपोर्ट तैयार किया गया है बंटवारा रिपोर्ट नियम 18 से 21 की पालना में तैयार नहीं किया है। तहसीलदार साहब ने मौके पर उपस्थित होकर बंटवारा रिपोर्ट तैयार नहीं की है। पत्रावली पर अपीलान्ट को तहसील कार्यालय से कोई नोटिस ही जारी किया गया हो अपीलान्ट को उक्त नोटिस ही प्राप्त हुए हो ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली पर नहीं है। अपीलान्ट छोटूलाल अंगूठा लगाता है जबकि सम्मन पर हस्ताक्षर है जिसका निर्धारण माननीय न्यायालय स्वंय कर सकता है। माननीय न्यायालय द्वारा जिस राजीनामा के अनुसार अपीलान्ट को आराजी प्राप्त हुयी है से भिन्न आराजी बंटवारे में दी है मौके के अनुसार अपीलान्ट को 2 खेतो की आराजी राजीनामा अनुसार दी गयी है किन्तु बंटवारे में 4 खेतो की आराजी छोटे छोटे टुकडो में दे दी गयी जो गलत है राजीनामा अनुसार अपीलान्ट खसरा नम्बर 87 की 0.50 हैक्टर पर राजीनामा से काबिज काश्त है जिसको उन्नतकर सब्जीयां आदि अपीलान्ट करते चले आ रहे है इसके विपरीत छोटे खेत खसरा नम्बर 267, रकबा 0.07 हैक्टर, 272 रकबा 0.08 हैक्टर, दे दिये गये जिसपर अपीलान्ट का कभी कब्जा नहीं रहा है। फिर भी वादी के साथ मिलकर असमान बंटवारा रिपोर्ट तैयार कर आदेश प्रदान कर दिया गया जो गलत है। अपनी बहस के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की ओर से न्यायिक दृष्टान्त आर. एल. डबल्यू. 2003 (4) सुप्रीमकोर्ट पेज 509, आर. आर. टी. 2017 वौल्यूम प्रथम पेज नम्बर 689, आर. आर. डी. 2003 पेज नम्बर 193, आर. आर. टी. 2015 वोल्यू द्वितीय पेज नम्बर 990, आर. बी. जे. 2010 पेज नम्बर 604, आर. आर. टी. 2022 वोल्यूम प्रथम पेज नम्बर 179,. डबल्यू. एल.एन. 2001 वोल्यूम 3 पेज नम्बर 80, आर. आर. टी. 2017 वोल्यूम द्वितीय पेज नम्बर 919, ए.आई. आर. 2011 सुप्रीम कोर्ट पेज नम्बर 9 प्रस्तुत किए। अन्त में अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 20.11.2024 निरस्त किए जाने तथा मौके पर काबिज अनुसार बंटवारा करने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमान्ड किए जाने का निवेदन किया।

8. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1/2 ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांटगण को जारी सम्मन नोटिस की तामील होने के बावजूद भी अपीलांटगण अधीनस्थ न्यायालय में जानबूझकर उपस्थित नहीं हुए। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार वादग्रस्त आराजी के विभाजन की प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की गई है। प्राथमिक डिक्री में किसी भी पक्षकार का हिस्सा कम अथवा अधिक दर्ज नहीं किया गया है। वादग्रस्त आराजी का विभाजन प्रस्ताव बंटवारा नियम 18 से 21 की पालना करते हुए बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस अनुसार तैयार किया गया है। विभाजन प्रस्ताव में किसी प्रकार की विधिक एवं प्रकियात्मक त्रुटि नहीं है। विभाजन प्रस्ताव प्राथमिक डिक्री के अनुसार तथा राजस्व रिकॉर्ड में पक्षकारान के दर्ज हिस्से अनुसार तैयार किया गया है। विभाजन प्रस्ताव के अनुसार

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त आराजी के विभाजन की अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 20.11.2024 पारित की गई है जो विधि सम्मत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 20.11.2024 विधि सम्मत होने से इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अतः अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज किए जाने योग्य है। अन्त में अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 20.11.2024 यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

9. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1/1/1 लगायत 1/1/3, 2, 4, 5 एवं विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 3 ने अपनी बहस में विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1/2 की बहस का समर्थन किया तथा अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 20.11.2024 यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

10. हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया । न्यायालय हाजा व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात व राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का सम्मानपूर्वक अवलोकन किया।

सर्वप्रथम विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण किया जाना उचित होगा। हमने प्रार्थीगण अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का अवलोकन किया। प्रार्थीगण अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में अंकित कथन विश्वसनीय प्रतीत होते है। न्यायहित में प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थीगण अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है। अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब की अवधि को क्षमा किया जाता है तथा अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत वाद में वादी नन्दा द्वारा वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम ढीकोली तहसील कनवास की खसरा संख्या 87, 164, 212, 267, 272 कुल किता 5 रकबा 1.92 हैक्टेयर भूमि का वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य विभाजन किए जाने का अनुतोष चाहा गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 20.11.2024 को वादग्रस्त आराजी के विभाजन की अंतिम डिक्री पारित की गई है। अपीलांटगण का कथन है कि अपीलांटगण को अधीनस्थ न्यायालय में साक्ष्य व सुनवाई अवसर प्रदान नहीं किया गया, राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज सभी खातेदारान को पक्षकार कायम नहीं किया गया, अपीलांट की बिना तामील तथा साक्ष्य सुनवाई के बिना ही एकपक्षीय निर्णय व डिक्री पारित की गई है जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किए जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 11.07.2019 में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 तथा प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 6 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही किए जाने का आदेश अंकित

है। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 03.10.2019 में प्रतिवादी संख्या 3 व 7 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही किए जाने का आदेश अंकित है। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 31.07.2024 में वादी की ओर से पी.डब्ल्यु.–2 सुनील का शपथ–पत्र पेश किए जाने का अंकन है तथा पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी दिनांक 03.09.2024 को नियत किए जाने का अंकन है। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका 03.09.2024 में साक्ष्य वादी बन्द किए जाने तथा वादी की एकतरफा बहस सुनी जाकर वादी का वाद प्राथमिक डिक्री किए जाने का अंकन है। अतः अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांटगण को बिना सुने एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए वादग्रस्त आराजी के विभाजन की प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की गई है। विभाजन प्रस्ताव तैयार किए जाने से पूर्व अपीलांट को जारी किसी प्रकार के सम्मन नोटिस/सूचना–पत्र अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका में कहीं भी अपीलांट के विभाजन प्रस्ताव तैयार किए जाने की दिनांक 16.10.2024 को मोके पर उपस्थित होने बाबत किसी प्रकार के सम्मन नोटिस/सूचना–पत्र जारी किए जाने का आदेश अंकित नहीं है। विभाजन प्रस्ताव दिनांक 16.10.2024 पर अपीलांटगण के हस्ताक्षर एवं उनकी उपस्थिति का अंकन नहीं होकर केवल वादी की उपस्थिति व हस्ताक्षर अंकित है। अतः अधीनस्थ न्यायालय में विभाजन प्रस्ताव तैयार किए जाने से पूर्व अपीलांटगण को सूचित नहीं किया गया। अपीलांटगण को विभाजन प्रस्ताव तैयार किए जाने की कोई सूचना नहीं थी अतः अपीलांटगण विभाजन प्रस्ताव तैयार किए जाने के दौरान मोके पर उपस्थित नहीं हो सके। प्रश्नगत विभाजन प्रस्ताव दिनांक 16.10.2024 अपीलांटगण की अनुपस्थिति में तैयार किया गया है। प्रश्नगत विभाजन प्रस्ताव पर तहसीलदार के हस्ताक्षर नहीं होकर केवल पटवारी हल्का व भू–अभिलेख निरीक्षक के हस्ताक्षर अंकित है। अतः प्राथमिक डिक्री की पालना में विभाजन प्रस्ताव तैयार किए जाने के दौरान तहसीलदार स्वयं मोके पर उपस्थित नहीं हुए। अतः प्रश्नगत विभाजन प्रस्ताव अपीलांटगण की अनुपस्थिति में तैयार किए जाने तथा सक्षम अधिकारी द्वारा तैयार नहीं किए जाने के कारण त्रुटिपूर्ण है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नगत त्रुटिपूर्ण विभाजन प्रस्ताव के आधार पर वादग्रस्त आराजी के विभाजन की अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 20.11.2024 पारित की गई है जो विधि सम्मत नहीं होने से निरस्त किए जाने योग्य है। हमारे मत में उभयपक्षकारान की उपस्थिति में वादग्रस्त आराजी का विभाजन प्रस्ताव सक्षम अधिकारी द्वारा तैयार करवाए जाने के उपरांत विभाजन प्रस्ताव पर उभयपक्षकारान को आपत्ति प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक है। तथा प्रस्तुत की गई आपत्ति का विधि अनुसार निस्तारण किया जाकर राजस्थान काश्तकारी राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 की पालना में वादग्रस्त आराजी के विभाजन की अंतिम निर्णय व डिक्री पारित किया जाना आवश्यक है। अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

11. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा के प्रकरण संख्या 24/2019(2019/00054) में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 20.11.2024 निरस्त की जाती है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी का विभाजन प्रस्ताव उभयपक्षकारान की उपस्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा तैयार करवाया जावे। विभाजन प्रस्ताव पर उभयपक्षकारान को आपत्ति प्रस्तुत करने समुचित अवसर प्रदान करें तथा प्रस्तुत की गई आपत्तियों का विधि अनुसार निस्तारण करते हुए राजस्थान काश्तकारी राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 की पालना में वादग्रस्त आराजी के विभाजन की अंतिम निर्णय व डिक्री पारित करें। उभयपक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई हेतु दिनांक 17.03.2026 को स्वयं उपस्थित रहें

12. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटाई जावे।

13. निर्णय आज दिनांक 27.01.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुरलीधर प्रतिहार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा